

समक्ष मान्नीय म०प्र० राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म०प्र०)

निगरानी 721-III-15



Rs. 20/-

94  
13-3-15

साधूलाल कोल पिता रधुनाथ कोल निवासी- ग्राम रहना, वृत्त-पहाड़ी,  
तहसील-हनुमना, जिला-रीवा म०प्र० -----निगरानीकर्ता

बनाम्

प्रदीप कुमार पिता नन्दलाल पाण्डेय निवासी- ग्राम रहना, वृत्त-पहाड़ी,  
तहसील-हनुमना, जिला-रीवा म०प्र० -----उत्तरवादीगण

श्री. साधूलाल कोल द्वारा आज दिनांक 13-3-15 के प्रस्तुत किया गया।

सिडर  
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय नायब  
तहसीलदार वृत्त पहाड़ी, तहसील-हनुमना  
जिला रीवा के रा०प्र०क्र० 26/ए-19  
(3)/95-96 में पारित आदेश दिनांक  
05/07/96।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व  
संहिता

क्रमांक 4803  
द्वारा आज को प्राप्त  
क्लेक ऑफ कोर्ट  
राजस्व मण्डल ग्वालियर  
मान्यवर,

निगरानी का सारांश संक्षेप में इस प्रकार है :-

1-

यह कि मौजा रहना, वृत्त-पहाड़ी, तहसील हनुमना रीवा स्थित आराजी नं०- 250/2 रकबा 11.84 ए० यानी 4.796 हे० शासन म०प्र० की भूमि थी जो उक्त ग्राम में निवास करने वाले हरिजन आदिवासियों के लिए आवास योजना हेतु आरक्षित थी। जिसमें कई लोगों को भूमि आबंटित भी की जा चुकी है तथा हितग्राही उक्त आबंटित भूमि पर आवास बनाकर निवासरत हैं। इसी भूमि का आबंटन आवेदक अपने नाम आवास बनाने हेतु चाहता था

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर  
आदेश पृष्ठ  
भाग - अ

(50)

प्रकरण क्रमांक निगरानी 721-तीन/2015

साधू लाल कोल (श्री) विरुद्ध श्री निवास पाण्डेय

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
20-6-2018	<p>आवेदक अभिभाषक श्री रमाकांत पटेल ने उपस्थित होकर प्रकरण आगे न चलाने का अनुरोध किया। आवेदन अभिभाषक के अनुरोध पर प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।</p> <p style="text-align: right;">(आर० के मिश्रा) सदस्य</p>	<p style="text-align: right;">20/6/18</p>